

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdpl-ta-rj@nic.in)

क्रमांक एफ.3(ख) (सेवानिवृत्ति)/अलेसे-11 20463-468 दिनांक 17.9.15

प्रमाण पत्र

विभागीय आदेश क्रमांक एफ.3(ख)(1)/अलेसे-11/10817-10887 दिनांक 05.01.2015 आदेश संख्या 132/2014-15 द्वारा क्रम संख्या 17 पर अंकित श्री मोहन सिंह (लिंग नं. 5443) सहायक लेखाधिकारी-द्वितीय के अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर दिनांक 31.07.2015 से सेवानिवृत्त किये जाने के आदेश जारी किये गये थे, के क्रम में प्रमाणित किया जाता है कि श्री मोहन सिंह के विरुद्ध आज तक-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।


(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक एफ.3(ख) (सेवानिवृत्ति)/अलेसे-11 20463-468 दिनांक 17.09.15

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष विधि सहायक एवं मुले अ. सीनरेज उच्च मंडल, जयपुर
3. कोषाधिकारी (श.ए.) जयपुर।
4. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक महोदय।
5. उपनिदेशक (एसीपी) को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. श्री मोहन सिंह सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11, कार्यालय द्वारा विधि सहायक एवं मुले अ. सी.प्र. मंडल, जयपुर
7. निजी/रक्षित पत्रावली।


(के.एम. मीणा)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक- II)